

आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 371/2024 (धारा 14 शिवयोरिटाईजेशन)
एडलवेस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय- एडलवाईस हाऊस, ऑफ सीएसटी
रोड, कलीना रोड, मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स अभिमन्यु गार्डन एण्ड रेस्टोरेन्ट जरिये प्रोपराईटर श्री अभिमन्यु सिंह शेखावत,
पता:- 1, विशाल नगर, नेमी नगर विस्तार के पास, वैशाली नगर, जयपुर।
2. अभिमन्यु सिंह शेखावत पुत्र सैलाब सिंह,
पता:- मकान नं. 19, सहकार नगर, झोटवाड़ा, वार्ड नं. 9, जयपुर
एवं 2, सत्य नगर झोटवाड़ा, जयपुर।
3. गजेन्द्र सिंह पुत्र सैलाब सिंह
पता:- मकान नं. 19, सहकार नगर, झोटवाड़ा, वार्ड नं. 9, जयपुर।



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

उपस्थित :- नवीन शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 28.10.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वित्तीय संस्था/बैंक इंडसडंड बैंक लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी अभिमन्यु सिंह शेखावत के स्वामित्व की संपत्ति 1. प्लॉट नं. 19, सहकार नगर बी, खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, क्षेत्रफल 188 वर्गगज, 2. ऑफिस नं. 7, चतुर्थ तल का दक्षिणी हिस्सा, गोरधन स्काई, प्लॉट नं. ए-1, ए-2 एवं ए-3, गोरधनबाड़ी, खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, क्षेत्रफल 24.38 वर्गमीटर एवं गजेन्द्र सिंह के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 1, विशाल नगर, खातीपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 575 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 23.12.2015 को राशि 02,73,80,000/- रुपये, दिनांक 29.03.2019 को राशि 30,00,000/- रुपये, राशि 10,00,000/- रुपये एवं दिनांक 23.07.2020 को राशि 31,00,000/- रुपये, कुल राशि 03,44,80,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। इंडसडंड बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी का ऋणी खाता जरिये असाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट दिनांकित 29.12.2021 से प्रार्थी वित्तीय संस्था को स्थानान्तरित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.07.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 03,44,80,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 04,47,17,540.06/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 23.07.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस का वित्तीय संस्था को जवाब दिया गया जिसका निस्तारण प्रार्थी वित्तीय संस्था कर दिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी अभिमन्यू सिंह शेखावत के स्वामित्व की बन्धक संपत्ति 1. प्लॉट नं. 19, सहकार नगर बी, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर, क्षेत्रफल 188 वर्गगज, 2. ऑफिस नं. 7, चतुर्थ तल का दक्षिणी हिस्सा, गोरधन स्काई, प्लॉट नं. ए-1, ए-2 एवं ए-3, गोरधनबाड़ी, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर, क्षेत्रफल 24.38 वर्गमीटर एवं गजेन्द्र सिंह के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 1, विशाल नगर, खातीपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 575 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल

दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर